Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana
No. 110-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 4, 2020 (SRAVANA 13, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2020

संख्याः 66/आ०–1/पं०अ० 1/1914/धा० 59/2020.– पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 9/आ0–1/पं0अ01/1914/धा0 9/2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के प्रतिनिर्देश से, मैं, शेखर विद्यार्थी, आबकारी आयुक्त, हरियाणा वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में, खण्ड (i–ड़डडड़) में, उप–खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा 06 मई, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

''(ठ) सफल आवेदक अनुज्ञप्ति फीस और अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस, यदि लागू हो, का भुगतान आठ मासिक किस्तों में, अनुज्ञप्ति फीस और अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के प्रत्येक 10 प्रतिशत के बराबर, यदि लागू हो तो करेगा। आठ किस्तों में से पहली किस्त का भुगतान आबंटन के मास के अन्तिम कार्य दिवस तक किया जाएगा। शेष सात किस्तों का भुगतान आबंटन के मास के बाद मास से शुरू होकर, जब तक कि सभी सात किस्त प्राप्त नहीं हो जाती, प्रत्येक मास की 20 तारीख तक किया जायेगा। यदि, अनुज्ञप्ति अगस्त, 2020 के मास के बाद दी जाती है तो अनुज्ञप्ति फीस का 80 प्रतिशत मासिक किस्तों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि पूरी राशि 20 मार्च, 2021 तक प्राप्त हो। इन किस्तों में से पहली किस्त का भुगतान आबंटन के मास के अन्तिम कार्य दिवस तक किया जायेगा और शेष मासिक किस्तों का भुगतान आबंटन के आगामी मास के बाद प्रत्येक मास की 20 तारीख तक किया जायेगा। अनुज्ञप्ति फीस का शेष भाग पच्चीस प्रतिशत प्रतिभूति राशि में से समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति से बकाया राशि, यदि कोई है, अनुज्ञप्तिधारी की ओर देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी। भारत में बनी विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज उद्गृहीणय होगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 24 में, खण्ड (i–छ) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

''परंतु यदि आसवनी/बॉटलिंग प्लांट/मद्यनिर्माणशाला, विभाग के पास पहले से पंजीकृत एक विशेष ब्राण्ड को बाटलिंग करने के लिए, राज्य के बाहर स्थित अतिरिक्त स्रोत से उसी ब्रांड को पंजीकृत करना चाहता है तो किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, इसकी अनुमति केवल आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा दी जाएगी, यदि वह संन्तुष्ट है कि राज्य बाजार में उस विशेष ब्राण्ड की आपूर्ति की कमी है। एक से अधिक स्रोत से शराब प्राप्त होने की दशा में प्रत्येक अतिरिक्त लेबल के लिए अतिरिक्त लेबल शुल्क भुगतान योग्य होगा। इस प्रकार आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में कोई भी

उल्लंघन होने पर पहले अपराध के लिए 5.00 लाख रूपये की शास्ति, दूसरे और तीसरे अपराध के लिए 15.00 लाख रूपये की शास्ति तथा बाद के अपराध के लिए ऐसे ब्राण्ड के मालिक के ब्राण्ड लेबल और अनुज्ञप्ति रद्द की जायेंगी।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 31–क में, ''410'' अंकों के स्थान पर, ''375'' अंक प्रतिस्थपित किये जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 36–क में,

(i) उप–नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा 06 मई, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

''(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0–14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–2) का खुदरा मदिरा बाजार आबंटित किया जाता है, तो राज्य में प्रत्येक जिला में स्थित देशी मदिरा (अनु0–13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0–13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–1) के अनुज्ञप्त थोक बाजार से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा :–

अवधि	तिमाही	बेसिक कोटा प्रतिशत	संचयी कोटा
06 मई, 2020 19 अगस्त, 2020	प्रथम	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत
20 अगस्त, 2020 19 नवम्बर, 2020	द्वितीय	20 प्रतिशत	45 प्रतिशत
20 नवम्बर, 2020 19 फरवरी, 2021	तृतीय	30 प्रतिशत	75 प्रतिशत
20 फरवरी, 2021 19 मई, 2021	चतुर्थ	25 प्रतिशत	100 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त वर्णित अनुसूची के अनुसार उसे आबंटित कोटा का 100 प्रतिशत कोटा उठाना होगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा उठाने में असफल होने पर अल्प कोटा शास्ति लगेगा। तथापि, मौजूदा परिस्थितियों के कारण, विहित त्रैमासिक कोटा शास्ति निम्नलिखित सीमा तक छूट दी जायेगी:–

त्रैमासिक	छूट दी गई कोटा शास्ति के लिए उठाए जाने वाला न्यूनतम कोटा
प्रथम त्रैमासिक तक	18 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमासिक तक	40 प्रतिशत
तृतीय त्रैमासिक तक	70 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमासिक तक	100 प्रतिशत

तथापि, अनुज्ञप्तिधारी को सम्बन्धित त्रैमासिक के बाद निर्धारित कोटा के 25 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तक उठाने की स्वतन्त्रता दी जाएगी और उसके बाद अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त आबकारी शुल्क के भुगतान पर सम्बन्धित त्रैमासिक कोटे के निर्धारित कोटा का 50 प्रतिशत उठाने की अनुमति होगी;

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 70/–रुपये तथा 125/– रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।''।

(ii) उप–नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

''(19) कोई भी व्यक्ति जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नही करेगा जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अडडे् तथा पूजा के स्थान के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो। तथापि् आबकारी आयुक्त उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार मार्किट स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस

अड्डा या पूजा का स्थान वर्ष 2020–21 में ठेके की स्थापना के पश्चात्वर्ती वर्ष की चालू रहने के दौरान 150 मीटर के दूरी में आते हैं।'';

(iii) उप–नियम (25), (26) तथा (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा 06 मई, 2020 से प्रतिस्थापित किये गये समझे जायेंगे, अर्थात्:–

''(25) (i) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत ई–बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत आबंटन के दिन के सात दिन के भीतर या 31 मार्च, 2020 को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा आगे अनुज्ञप्ति फीस का 5 प्रतिशत 15 मई, 2020 तक जमा किया जायेगा और अनुज्ञप्ति फीस का अन्तिम 5 प्रतिशत महामारी कोविड–19 के अप्रत्याशित प्रकोप के कारण 20 मई, 2020 तक जमा किया जायेगा;

(ii) अगर बोली की कीमत जो आरक्षित मूल्य 25 प्रतिशत से अधिक है, के मामले में, बोलीदाता को जमा प्रतिभूति राशि स्लैब के अनुसार, जो राशि लागू है, के अलावा अपनी बोली राशि के 15 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। सफल बोली दाता के मामले में, उसकी बोली का 15 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 15 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में जमा किया जाएगा;

(iii) उसके बोली धन का 83 प्रतिशत हिस्सा उसके द्वारा 8.3 प्रतिशत प्रत्येक की दस समान किस्तों में देय होगा, जो जून, 2020 से शुरू होगा, प्रत्येक मास की 15 वें दिन तक तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती मास तक भुगतान योग्य होगा। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 83 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धन के 17 प्रतिशत के बराबर, उसके बोली धन के 83 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित किया जायेगा। समायोजन उसकी बोली धन के 8.5 प्रतिशत की प्रत्येक, दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) (i) मास जून की अनुज्ञप्ति फीस की प्रथम किस्त दो भागों में देय होगी, 5 जून, 2020 तक 5 प्रतिशत तथा 15 जून, 2020 तक 3.3 प्रतिशत। अन्तिम किस्त 15 मार्च, 2021 होने की दशा में, 8.3 प्रतिशत की शेष सभी मासिक किस्तें हर मास की 15 तिथि तक देय होगी;

(ii) यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी। किन्हीं दस किस्तों के भुगतान के लिए विहित समय का पालन करने में असफलता की दशा में, देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भुगतान की तिथि तक चूक के मास के प्रथम दिन से प्रभारित किया जाएगा;

(iii) उसके बोली धनराशि के 3 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 3 जून, 2021 तक उसकी ओर बकाया थी असंदत पाई गई किसी राशि को समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा;

(iv) यदि किसी भी क्षेत्र का कोई ठेका/ठेके बन्द किया जाता है या बाद में कोविड कंटेनमैन्ट जोन में आने की वजह से बन्द कर दिया जाता है तो इसकी अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को बन्द होने के दिनों के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। बन्द किए गए ठेके की अनुपातिक अनुज्ञप्ति फीस और कोटा की गणना करने के उद्देश्य हेतु जो माफ की जानी है, जोन की अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को जोन के दोनों ठेकों के बीच बराबर रूप से विभाजित किया जाएगा;

(v) यदि किसी विशेष खुदरा जोन के दोनों ठेके कोविड कंटेनमैन्ट जोन में आते हैं, तो ऐसे खुदरा जोन के अनुज्ञप्तिधारी को शेष प्रतिभूति राशि उस दिन जमा करनी होगी, जब ऐसे खुदरा जोन का पहला ठेका कोविड कंटेनमैन्ट जोन से बाहर आता है। आबकारी तथा कराधान आयुक्त के द्वारा परिस्थिति के अनुसार उसकी बची हुई किस्तों का वर्क आउट किया जायेगा;

(vi) यदि सरकार पूरे राज्य में या कुछ निश्चित क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा करने का निर्णय लेती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में खुदरा ठेके बन्द हो जाते हैं तो अनुज्ञप्ति फीस और कोटा ऐसी अवधि के लिए आबकारी तथा कराधान आयुक्त के द्वारा अनुपातिक तौर पर छूट दी जाएगी। इसी तरह कंटेनमैन्ट जोन में आने वाले ठेकों की अनुज्ञप्ति फीस और कोटा माफ कर दिया जायेगा।

(27) (i) जोन के ठेकों की दशा में, जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान 6 मई से 25 मई, 2020 के बीच आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति जोन के ठेकों के आबंटन की तिथि से सात दिनों के भीतर जमा की जाएगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि को, जो जून, 2020 से शुरू होकर, 8.3 प्रतिशत की 10 समान किश्तों में प्राप्त किया जायेगा। तथापि, मास जून की अनुज्ञप्ति फीस की प्रथम किस्त

दो भागों में देय होगी, 5 जून, 2020 तक 5 प्रतिशत तथा 15 जून, 2020 तक 3.3 प्रतिशत। अन्तिम किस्त 15 मार्च, 2021 होने की दशा में, 8.3 प्रतिशत की शेष सभी मासिक किस्तें प्रत्येक मास के पन्द्रहवें दिन तक देय होगी;

(ii) जोन के ठेकों की दशा में, जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान 26 मई से 31 मई, 2020 के बीच आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति जोन के ठेकों के आबंटन की तिथि से सात दिनों के भीतर जमा की जाएगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि को समान रूप से 10 किस्तों में विभाजित किया जायेगा, जो प्रत्येक मास के 15 वें दिन तक देय होगी, यह राशि 15 जून, 2020 से शुरू होगी और अन्तिम किस्त 15 मार्च, 2021 को देय होगी;

(iii) जोन के ठेकों की दशा में, जो वित्तीय वर्ष के चालू रहने के दौरान मई, 2020 के बाद आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली धन के 10 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति जोन के ठेकों के आबंटन की तिथि से सात दिनों के भीतर जमा की जाएगी। मास, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 83 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में मार्च, 2021 तक प्रत्येक मास के पन्द्रहवें दिन भुगतानयोग्य होगी। उसके बाद, उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी;

(iv) यदि आबंटन या पुनः आबंटन फरवरी, 2021 के बाद किया जाता है, तो उसके बोली धन का सम्पूर्ण 83 प्रतिशत मास की अन्तिम तिथि तक वसूल किया जाएगा, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है। आबंटन/पुनः आबंटन के मास के लिए किस्त को, पूर्ण मास के रूप में संगणित समझा जाएगा;

(v) आबंटन/पुनः आबंटन 15 से पूर्व किया जाता है, तो भुगतान की तिथि 15 होगी या यदि आबंटन 15 को या बाद में किया जाता है, तो भुगतान मास के अन्तिम दिन को होगा।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 36ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा 06 मई, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा, अर्थात्:–

''36ख. कोविड–19 के कारण शराब के व्यापार में स्थिरता लाने के लिए देशी मदिरा (अनु0–14क) और भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0–2) और अन्य सहवर्ती अनुज्ञप्तियों की वैधता अवधि 06 मई, 2020 से लेकर 19 मई, 2021 तक होगा।''।

7. उक्त नियमों में, नियम 37 में, उप नियम (11) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा 06 मई, 2020 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जायेगा,, अर्थात्:–

''(क) प्ररूप अनु0–2, अनु0–10, अनु0–10क, अनु0–14 तथा अनु0–14क में अनुज्ञप्तिः–

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब के खुदरा दुकानों की बिक्री समय प्रातः काल 07:00 बजे से सायंकाल 07:00 बजे तक होगा। लॉकडाउन के पश्चात्, आबकारी नीति 2020–21 के अनुसार टाईमिंगज लागू होगी।''।

शेखर विद्यार्थी,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 4th August, 2020

No. 66/X-1/P.A. 1/1914/S. 59/2020.— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 09/X-1/P.A.1/1914/S.9/2020, dated the 28th January, 2020, I, Shekhar Vidyarthi, Excise Commissioner, Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Liquor License (Second Amendment) Rules, 2020.

2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24, in clause (i-eeee), for sub-clause (l), the following sub-clause shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 6th May, 2020, namely:-

"(l) The successful applicant shall pay the license fee and additional license fee, if applicable, in eight monthly installments each equal to 10% of the license fee and additional license fee, if applicable. The first of the eight instalments shall be paid by the last working day of the month of allotment. The remaining seven instalments shall be paid by 20th of each month, starting from the month following the month of allotment, till all seven instalments are received. In case, the license is granted after the month of August, 2020, the 80% of the license fee shall be divided equally into monthly instalments in such a manner that the whole amount is received by the 20th March, 2021. The first of these instalments shall be paid by the last working day of the month of allotment and remaining monthly instalments shall be paid by 20th of each month following the month of allotment. The remaining part of the license fee shall be adjusted from the 25% security amount. The balance amount from security, if any, shall be refundable after adjusting any amount due towards licensee. Interest shall be leviable for the period of delay in depositing the license fee in accordance with the provisions of retail licensees of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor.".

3. In the said rules, in rule 24, in clause (i-g), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2020, namely,-

"Provided that in case the distillery/bottling plant/brewery, bottling a particular brand already registered with the Department, wants to register the same brand label from an additional source situated outside the State, it shall only be allowed by Excise and Taxation Commissioner, for a specified period, if he is satisfied that there is a shortage of supply of that particular brand in the State Market. Additional label fee shall be payable for each additional label in case liquor is obtained from more than one source. Any violation in time frame thus specified by Excise and Taxation Commissioner shall attract a penalty of Rs. 5.00 lakh for first officense, Rs. 15.00 lakh for second and third offence and cancellation of brand label & license of such brand owner for subsequent offence.".

4. In the said rules, in rule 31-A, for the figure "410", the figure "375" shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2020.

5. In the said rules, in rule 36-A-,

(i) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 6th May, 2020, namely:-

"(17) The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire annual quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located at every district in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Period	Quarter	Basic Quota percentage	Cumulative Quota
6th May, 2020 19th August, 2020	1st	25%	25%
20th August, 2020 19th November, 2020	2nd	20%	45%
20th November, 2020 19th February, 2021	3rd	30%	75%
20th February, 2021 19th May, 2021	4th	25%	100%

The licensee shall have to lift 100% of the quota allocated to him as per the schedule described above. Failure to lift prescribed quarterly quota shall attract short quota penalty. However, due to the prevailing circumstances, the prescribed quarterly quota penalty shall be relaxed to the following extent:-

Quarter	Minimum Quota to be lifted for exempting Quota Penalty
Upto First	18%
Upto Second	40%
Upto Third	70%
Upto Fourth	100%

However, the licensee shall be given freedom to lift upto 25%, 45%, 75%, 100% of the fixed quota after respective quarters and beyond that the licensee shall be allowed to lift 50% of the fixed quota of respective quarters on payment of additional Excise Duty;

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract penalty at the rate of Rs.70/- and Rs.125/-per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively for the deficient quantity.".

(ii) for sub-rule (19), the following sub-rule shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2020, namely:-

"(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a recognized school/college/main bus stand and a place of worship. However, Excise Commissioner can relax such distance for the location of retail liquor outlet for 150 meters to 75 meters on the recommendations of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). Further, in urban areas, the retail liquor outlets shall be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the year subsequent to the establishment of vend in the year 2020-2021.".

(iii) for sub-rule (25), (26) and (27), the following sub-rules shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 6th May, 2020, namely:-

"(25) (i) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 20% of the annual license fee of the Zone of vends, out of which, 5% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids; 5% of the license fee within seven days of the allotment on or before 31st March, 2020 whichever is earlier; and further 5% of the license fee shall be deposited by 15th May, 2020 and final 5% of the license fee shall be deposited by 20th May, 2020 due to unforeseen outbreack of pandemic COVID-19;

(ii) In case of bids that exceed the reserve price by more than 25%, the bidder shall have to deposite an amount equal to 15% of his bid amount in addition to the amount applicable as per Earnest money deposite slabs. In case of successful bid, 15% of his bid money shall be deducted by the system and shall be deposited as 15% security;

(iii) The 83% of his bid money shall be payable by him in ten equal installments of 8.3% each, beginning June, 2020 payable by 15th of each month and every subsequent month. The payment shall continue till full amount of 83% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 17% of his bid money, shall be adjusted at the end towards his license fee after the payment of installments amounting to 83% of his bid money. The adjustment shall be made over a period of last two months in two equal installments; each equal to 8.5 % of his bid money.

(26) (i) The first instalment of license fee of month June shall be payable in two parts, 5% by 5th June, 2020 and 3.3% by 15th June, 2020. All remaining monthly instalments of 8.3% shall be payable by 15th day of every month, last instalment being payable on 15th March, 2021;

(ii) If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, forfeited. In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the ten installments, interests on late payment shall be charged from the first day of the month of default till the date of payment @ 18% per annum;

(iii) The balance security equal to 3% of his bid money shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the 3rd June, 2021. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount;

(iv) In case any vend or vends of any zone are closed or are subsequently closed on account of falling under Covid Containment Zone, its license fee and quota shall be proportionately waived off in proportion of days of closure. For the purpose of computation of proportionate license fee and quota of a closed vend to be waived off, the license fee and quota of a zone shall be equally divided amongst both vends of the zone;

(v) In case both the vends in a particular retail Zone fall in a Covid Containment Zone, the licensee of such retail Zone shall be required to deposit remaining security amount on the day when the first vend of such retail Zone comes out of Covid Containment Zone. His remaining instalments shall be worked out accordingly by the Excise and Taxation Commissioner;

(vi) In case the Government decides to announce lockdown either in whole State or in certain pockets, resulting into closure of retail vends(s) in such cases, the license fee and the quota for such period shall be proportionately exempted by Excise and Taxation Commissioner, Haryana. Similarly, license fee and quota of vends falling in containment zone shall be waived off.".

(27) (i) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year between 6th May to 25th May, 2020, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 10% of bid money shall be deposited within seven days of the date of allotment of zone of vends. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be realized in 10 equal instalments of 8.3% each, beginning June, 2020. However, the first instalment of license fee of month June shall be payable in two parts, 5% by 5th June, 2020 and 3.3% by 15th June, 2020. All remaining monthly instalments of 8.3 shall be payable by 15th day of every month, last instalment being payable on 15th March, 2021;

(ii) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year between 26th May to 31st May, 2020, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 10% of bid money shall be deposited within seven days of the date of allotment of zone of vends. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be equally divided in 10 instalments of 8.3% each payable by 15th day of each month, starting from 15th June and last instalment being payable on 15th March, 2021;

(iii) In case of Zone of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the financial year after May, 2020, the security equal to 10% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 10% of bid money shall be deposited within seven days of the date of allotment of zone of vends. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 83% of the license fee shall be payable in equal monthly instalments payable on 15th day of each month, up to March, 2021. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments;

(iv) In case the allotment or re-allotment takes place after February, 2021, the entire 83% of his bid money shall be recovered upto the last date of month in which it is allotted/re-allotted. The installment for the month of allotment/re-allotment shall be computed treating it as a full month;

(v) The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be 15th if allotment takes place before 15th or the last day of the month if allotment takes place on or after 15th.".

6. In the said rules, for rule 36B, the following rule shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 6th May, 2020, namely:-

"36B. In order to bring stability in the liquor trade due to Covid-19, the validity period of liquor vends of country Liquor (L-14A) and Indian Made Foreign Liquor (L-2) and other concomitant licenses shall be from 6th May,2020 to 19th May, 2021.

7. In the said rules, in rule 37, in sub-rule (11), for clause (a), the following clause shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 6th May, 2020, namely:-

"(a) License in Form L-2, L-10, L-10A, L-14 and L-14A:-

The sale hours of retail outlets of liquor shall be 07:00 A.M. to 07:00 P.M. in both Urban and Rural areas. Post lockdown, timings as per the Excise Policy 2020-21 shall apply.".

SHEKHAR VIDYARTHI,
Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.

8860—C.S.—H.G.P., Pkl.